

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

===0===

कमांक एफ 6-35/2008/20-एक
प्रेषक,

रायपुर, दिनांक 7-6-08

विलियम कुजूर,
उप सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग,

प्रेषित,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली.

विषय :- सेंट विन्सेंट पालोटी स्कूल पोड़ी बहार कोरबा को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

-----0-----

महोदय,

राज्य शासन एतद् द्वारा, सेंट विन्सेंट पालोटी स्कूल पोड़ी बहार कोरबा, जिला-कोरबा को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त संस्था के कार्यकारिणी समिति के निर्णायक मण्डल में छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि मनोनीत किये जायेंगे।

भवदीय,

(विलियम कुजूर)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक.....

पृ.कमांक एफ 6-35/2008/20-एक
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर, आपके पत्र कमांक/विद्या/सी.बी.एस.ई./पाठ्यक्रम/अनु./08/295, दिनांक 03.06.2008 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा,
3. प्राचार्य, सेंट विन्सेंट पालोटी स्कूल पोड़ी बहार कोरबा, जिला-कोरबा, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग



कर्मचारी छुट न पाए, हर कामा स्कूल में जाए,
स्वच्छ एवं दम